

# सदर अस्पताल, छपरा

## निविदा सूचना

सदर अस्पताल, छपरा में कैन्टीन एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड हेतु व्यक्तिगत/फॉर्म/कम्पनी/सोसाईटी/गैर सरकारी संस्था से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है। निविदा दो प्रकार की यथा 1. तकनीकी 2. वित्तीय होगी। दोनों प्रकार की निविदा अलग-अलग लिफाफे में रखकर एक बड़े लिफाफे में भेजनी है।

### तकनीकी भाग:-

1. निविदादाता के पास पैन कार्ड, संस्था का निबंधन प्रमाण-पत्र एवं दो वर्ष का आयकर रिटर्न 2016-17 एवं 2017-18 होना चाहिये। व्यक्तिगत निविदादाता को निबंधन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
2. निविदा के साथ 5000/- (पाँच हजार) सिक्करीटी मनी का ड्राफ्ट रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल छपरा के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा उपाधीक्षक, सदर अस्पताल छपरा, सदर अस्पताल परिसर, के पते पर निबंधित डाक से मोहरबंद लिफाफा में दिनांक 25.12.2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। विलंब से प्राप्त कराये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदादाता की अनुपस्थिति में भी निविदा खोला जा सकेगा। निविदा दिनांक 26.12.2018 को 11 AM बजे उपाधीक्षक, सदर अस्पताल छपरा के कार्यालय कक्ष में खोली जाएगी, जिसमें निविदादाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
5. निविदादाता अपना पूरा पता, दूरभाष संख्या एवं मोबाईल संख्या निश्चित रूप से निविदा के साथ संलग्न करेंगे।
6. रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल छपरा का निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।
7. रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल छपरा को निविदा को पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
8. समग्र का दर बाजार मूल्य दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
9. कैन्टीन का वार्षिक न्यूनतम किराया 36000/- होगा एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड का वार्षिक न्यूनतम किराया 12000/- होगा। निर्धारित न्यूनतम किराया से कम दर वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. कैन्टीन एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड का रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेवारी चयनित व्यक्ति/संस्था को करनी होगी।
11. कैन्टीन हेतु चयनित व्यक्ति/संस्था को अनुबंध के समय खाद्य विभाग द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. कैन्टीन एवं साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड हेतु चयनित व्यक्ति/संस्था को अनुबंध के समय वार्षिक किराया का राशि रोगी कल्याण समिति के खाता में जमा करना होगा।
13. चयनित व्यक्ति/संस्था के द्वारा नियामो का पालन नहीं करने पर एक माह का नोटिस देते हुए कार्यादेश/अनुबंध को रद्द किया जा सकता है।
14. चयनित व्यक्ति/संस्था को बिजली, साफ-सफाई एवं पानी की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
15. चयनित व्यक्ति/संस्था के साथ सर्वप्रथम अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जाएगा जिसका कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में रोगी कल्याण समिति के द्वारा निर्णय लेकर तीन वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा।
16. साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड हेतु चयनित संस्था के द्वारा निम्न शुल्क लिया जायेगा- साईकिल-02 रु0, मोटरसाईकिल-05 रु0 एवं बड़ी गाड़ी-10 रु0।

### वित्तीय भाग:-

निविदादाता को निम्न प्रपत्र में वित्तीय निविदा सीलबंद लिफाफे में भरकर देना होगा।

कार्य का नाम	वार्षिक किराया
कैन्टीन (वार्षिक न्यूनतम किराया 36000/- से कम नहीं होना चाहिए)	
साईकिल/मोटरसाईकिल स्टैन्ड (वार्षिक न्यूनतम किराया 12000/- से कम नहीं होना चाहिए)	

नोट- जिनका वार्षिक किराया अधिक होगा उनको चयनित किया जाएगा।

उपाधीक्षक

सदर अस्पताल, छपरा।

सिविल सर्जन सह अधीक्षक  
सदर अस्पताल, छपरा।